

## Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	<p>Recommendation of the State Government:-</p> <p>(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)</p>	<p>प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर को मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया वन मंडल अंतर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 (नया क्र. 43) के तहत मनेन्द्रगढ़ से डुमरिया (बैकुण्ठपुर) के चौड़ीकरण एवं उन्नयन संबंधी गैर वानिकी कार्य हेतु 36.99 हे. वन भूमि (संरक्षित वन भूमि 4.413 हे., आरक्षित वन भूमि 28.497, राजस्व वन भूमि 4.080 हे.) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।</p>

Signature

Date : 08 -03-2019

Place : Atal Nagar, Chhattisgarh



**(C.K. KHAITAN)**  
 Additional Chief Secretary  
 Government of Chhattisgarh  
 Forest Department  
 C.G. Govt.,  
 Mantralaya, Atal Nagar, Raipur  
 Forest Department